

संख्या:ई0डी0एन0-सी-बी(2)35/2006-लूज
हिमाचल प्रदेश सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

प्रेषक

प्रधान सचिव (शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषित

1. निदेशक, उच्चतर शिक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171001
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171001

दिनांक: शिमला-2,

2011

विषय: शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय बढ़ाने
महोदय, बारे।

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रारम्भिक शिक्षा एवं उच्चतर शिक्षा विभागों में वर्ष 2001 एवं 2009 की नीति के अन्तर्गत कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय बढ़ाने का मामला सरकार के विचाराधीन था। अतः सरकार ने अब इनका मानदेय दिनांक 1-4-2011 से ₹ 1000/- प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹ 1200/- प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मामले में तुरन्त आगामी कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से इस विभाग को सूचित करने की कृपा करें।

भवदीय,

अवर सचिव (प्रार0शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार
18-4-2011

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि

दिनांक शिमला-2,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. विशेष सचिव (सामान्य प्रशासन) हि0प्र0 सरकार, शिमला-2 को मन्त्री मण्डल की बैठक दिनांक 8.4.2011 की मद संख्या 14 के सन्दर्भ में प्रेषित है।
2. अतिरिक्त सचिव (शिक्षा) हि0प्र0 सरकार, शिमला-2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।
3. उप सचिव (वित्त) हि0प्र0 सरकार, शिमला-2 को उनकी दैनिकी संख्या 51746619 फिन.(सी) बी (15) 12/2010 दिनांक 22-03-2011 के सन्दर्भ में प्रेषित है।

6 pu Reg.

अवर सचिव (प्रार0 शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार